राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 7(53)परि/नियम/मु./2017/पार्ट–III/ 195 जयपुर, दिनांक 04/01/18

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी

....

आदेश

यह देखा गया है कि परिवहन श्रेणी के वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र ऐसे परिवहन कार्यालयों से भी प्राप्त कर लिया जाता है जिस परिवहन कार्यालय में वाहन का कर खाता संधारित नहीं है। कराधान अधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना नियम सम्मत नहीं है एवं ऐसा करना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के परिणामस्वरूप ऐसे वाहनों के कर खातों मे वाहन स्वामी द्वारा जमा करवाये गये कर का इन्द्राज नहीं हो पाता है। महालेखाकार एवं आंतरिक लेखा जांच दलों द्वारा परिवहन कार्यालयों के अंकेक्षण के उपरान्त ऐसे अधिकांश वाहनों में कर जमा होने के उपरान्त भी इन वाहनों के कर खाते खाली होने के कारण कर की राशि बकाया होने के आक्षेप बनाये जाते है। सामान्यतः यह देखा गया है कि ऐसे वाहनों का कर अन्य जिलों में जहां वाहन स्वामी द्वारा वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है में कर जमा होना पाया जाता है। परिवहन कार्यालयों द्वारा अन्य जिलों में पंजीकृत वाहनों को जारी फिटनेस प्रमाण पत्र एवं ऐसे वाहन द्वारा जमा करवाये गये कर की सूचना संबंधित परिवहन कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के परिणाम स्वरूप काफी बडी संख्या में वाहनों के कर खाते खाली होने के कारण इन वाहनों में कर की राशि बकाया बोल रही है जबकि वास्तव में यह राशि बकाया नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे परिवहन वाहन जो उनके परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तथा जिन्हे 01.04.2016 से 15.12.2017 के मध्य फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है की सूचना संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक रूप से दिनांक 26.12.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस सूचना में वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं वाहन का किस अवधि का कर जमा है की सूचना भिजवाई जानी है। सूचना की प्रति transport.accounts@rajasthan.gov.in एवं transport.rules@rajasthan.gov.in पर भी भिजवाई जावे। संबंधित प्रादेशिक परिवहन

परिवहन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त सूचना संबंधित अधिकारियों को भिजवादी गई है एवं अन्य जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर वाहनों के कर खाते पूर्ण कर दिये गये हैं।

उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। नियत तिथी तक सूचना नहीं भेजने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः— प. 7(53)परि/नियम/मु./2017/पार्ट—III/ 196-201 जयपुर, दिनांक 04/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

3/1/2018

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)